(नि.प्र. 3589-II-15)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र.सागर केम्प

(श्रीमान् आशीष श्रीवास्तव सा.)

रा.पु.क्र. पे.ता.

1. बसोरी उर्फ संतोष तनय कन्हैयालाल कुर्मी
2. रमेश तनय कन्हैयालाल कुर्मी
3. छबरानी बेबा घनश्याम कुर्मी
4. नर्मदाबाई पति संतोष कुर्मी
5. सुषमारानी पति रमेश कुर्मी

सभी निवासी ग्राम लखरोनी तह. पथरिया जिला दमोह **याचिकाकर्ता / पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

1. मिटठूलाल तनय राजाराम कुर्मी
2. सुखलाल तनय मिटठूलाल कुर्मी
3. राकेश तनय बलीराम कुर्मी
4. रघुनाथ तनय बलीराम कुर्मी

सभी निवारी ग्राम लखरोनी तह. पथरिया जिला दमोह.....**अनावेदक / उत्तरवादीगण**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

विद्वान अधिनस्थ राजस्व न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महो. पथरिया के रा.अ.क्र.66अ वर्ष 14+15 पक्षकार मिटठूलाल तनय राजाराम कुर्मी +1 बनाम बसोरी उर्फ संतोष तनय कन्हैयालाल कुर्मी +5 अन्य में मनमाने ढग से धारा 5 परिसीमा अधि. का आवेदनपत्र दिनॉक 29/09/2015 को पारित आदेश से स्वीकार करने से दुखी व पीडित होकर याचिकाकर्त्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत है............

मामले के तथ्य–: अनावेदक क्र 1 मिठठूलाल एवं आवेदक क्रमाक 1 व2 के वीच छवरानी कृषि भूमि सहित अन्य भूमि से विवादा का अंत करने के लिए व्यवस्था दोनो पक्षो की सहमति से वनी थी जिसका वर्णन संसोधन पंजी 62 में राजस्व अभिलेख में हुआ था और अनावेदकगणो एवं याचिकाकर्तागणो के हस्ताक्ष्र हुए थे और उक्त सेसोधन पंजी 62 का प्रमाणिकरण आदेश 19/11/14 से हुआ था इस प्रमाणिकरण आदेश दिनॉ 19/11/14 के विरूद्ध अपील पेश कर दी अपील में हुये विलंब को आदेश दिनॉक 29/09/15 से माफ कर दिया गया है

पुनरीक्षणकर्त्ता निम्नलिखित निवेदन करता है–:

1. यह कि विद्वान अधिनस्थ राजस्व न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पथरिया द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में आदेश के तत्वों को भूला दिया है।
2. यहकि अधिनस्थ न्यायालय में याचिककर्ता द्वारा अभिलेख पर मौजूद संसोधन पंजी क्र.62 को देखे बिना आलोच्य आदेश पारित करने में कानून की गंभीर भूल की गयी है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग/3589-II-15 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.1.16	मैंने प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के आग्रह पर तर्क सुने एवं नस्ती के अभिलेख का परिशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि जब विषयांकित संशोधन पंजी में गैरनिगरानीकार क्र. 1 मिट्ठूलाल एवं क्र.2 बृजलाल आदि के हस्ताक्षर थे, तो उन्हें जानकारी नहीं होना मान्य कर विलम्ब माफ किया जाना उचित नहीं है। SDO के आक्षेपित आदेश दि 29.9.15, SDO के समक्ष प्रस्तुत धारा-5 आवेदन, CS No. 19A/2012 मान. व्यव. न्याया. वर्ग-2 पथरिया दमोह का आदेश दि. 31.10.14 एवं संशोधन पंजी क्र-62 ग्राम लखरौनी का प्रमाणीकरण आदेश दि. 19.11.14 की प्रतियों के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि:- (1) व्यव. न्याया. के आदेश दि 31.10.14 का पालन संशो. पंजी आदेश दि 19.11.14 में हुआ है या नहीं, इसके परीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि यह पालन प्रथमदृष्ट्या सही से हुआ नहीं लगता है, (2) SDO ने अपने आदेश में संशोधन पंजी पर काट छांट होना और ऐसी काटछांट पर तहसीलदार का हस्ताक्षर नहीं होना लिखा है, तथा (3) SDO का आदेश बोलते स्वरूप का है।	

[कृ. प. उ.

R.3589/01/15

बोगरी मिट्टू जाटव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः मैं SDO पथरिया के आक्षेपित आदेश दि. 29.9.15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता। वैसे भी अभी SDO के समक्ष उभयपक्ष को अपने पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, अतः किसी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से आक्षेपित आदेश द्वारा प्रभावित हो गए हैं या प्रभावित होने संभावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी अग्राह्य की जाती है। SDO का आक्षेपित आदेश यथावत रखा जाता है तथा SDO को निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण का गुणदोष पर बोलते हुए आदेश से वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र निराकरण करें।	
	आदेश पारित।	
	पक्षकार एवं SDO सूचित हों।	
	प्रकरण समाप्त।	
	दा. द. हो।	
	6.1.16	
	सदस्य	